न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 41/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्री नारायणजी जाति माली निवासी ग्राम मऊ ग्राम पंचायत मऊ, पंचायत समिति अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत मऊ जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.)

(गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री ओमप्रकाश मेहता II अभिभाषक **(गैर निग. क्रम 1)**

निर्णय दिनांक 01.06.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मऊ ने दिनांक 22.12.2003 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 202 साइज 45X80 कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरूद्ध व अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2003–04 में की गयी अंकेक्षण जांच में वर्ष 2001 से 2004 तक जारी पट्टों बाबत आक्षेप गठित किया गया था। इस बाबत संभागीय स्तर की प्रशासनिक समिति में लिये गये निर्णयानुसार लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां एवं [illegible] पंचायत समिति अन्ता द्वारा जांच की गई जिसमें भी उक्त पट्टा आबादी भूमि में जारी करना नहीं माना गया है। फलतः उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 22.12.2003 को जारी पट्टा संख्या 202 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 12:02:57 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से वर्तमान मौका

थति की रिपोर्ट तलब की। उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के पत्र कमांक 202 दिनांक 14.09.2021 से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैर निगराकार कम 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसकी किस्म गै.मु. आबादी है।

हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार कम 1 अनुपस्थित रहे। गैर निगराकार कम 2 के अभिभाषक की मृत्यु हो जाने से गैर निगराकार कम 2 को पुनः तलब किया गया जिस पर गैर निगराकार कम 2 की ओर से प्रतिनिधि दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित हुये परन्तु इसके पश्चात बावजूद सूचना गैर निगराकार कम 2 अनुपस्थित रहे।

हमने एकपक्षीय बहस उपस्थित अभिभाषक निगराकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा कमांक 202 दिनांक 22.12.2003 निरस्त फरमाया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस निगराकार पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार कम 1 को 150 वर्गगज भूमि से अधिक भूमि पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरूद्व जारी किया गया है।

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैरनिगराकार कम–1 श्री मांगीलाल पुत्र श्री नारायणजी को जारी पट्टा कमांक 202 दिनांक 22.12.2003 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.23 12:02:57 IST
Reason: SelfAttested